मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 8274-3 जी0 एस0-I-77/40119 दिनांक 28-12-77 की प्रति ।

विषय :—संविधान की धारा 311(2) के परन्तुक (सी) के तहत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही-सेवा से पदच्युत/निष्कासित कर्मचारियों के मामलों का पुनरीक्षण ।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र, क्रमांक 5672-3 जी0 एस0-I-77/25092, दिनांक 14-9-1977 की ओर दिलाऊं और भारत सरकार के पत्र क्रमांक 34013/4 (एस) 77-स्थापना (बी), दिनांक 5-10-77 तथा इसके अनुलंग्नक की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध करूं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों में ऐसी ही कार्यवाही की जाए ।

2. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति उनके अशा: क्रमांक 6535-1 एफ0 जी0-77, दिनांक 8-12-1977 द्वारा ले ली गई है ।

3. कृपया इस पत्र की पावती भेज दें ।

भवदीय,
हस्ता0
उप-सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 8274-3 जी0 एस0-I-77/40120, दिनांक चण्डीगढ़, 28 दिसम्बर, 1977

एक प्रति, अनुलंग्नकों सहित, महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़ को हरियाणा सरकार के पृष्ठाकन क्रमांक 5672-3 जी0 एस0-I-77/2509, दिनांक 14-9-1977 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती हैं ।